विभाग/कार्यालय/उपक्रम का नामः संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी, म.प्र. भोपाल ।		
विभाग का नाम: किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग ।		
योजना का नाम: **आर.व्ही.वाय. अन्तर्गत हाई–टेक कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना**		
1	योजना का नाम, उपयोजनाओं (यदि कोई हो तो) के नाम सहित (यदि लागू हो तो कृप्या निम्नांकित जानकारी उपयोजनावार प्रेषित की जावे)	आर.व्ही.वाय. अन्तर्गत हाई–टेक कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना ।
2	क्या यह योजना भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा प्रवर्तित हे ।	भारत सरकार ।
3	राज्य शासन के स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग	किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग ।
4	जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग	संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी ।
5	योजना का उद्देश्य	निजी क्षेत्र में कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना ।
6	क्या योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है, यदि नही तो कृपया उन क्षेत्रों/ जिलों/ विकासखण्डों के नाम दर्शायें जाये जहां पर योजना क्रियान्वित	हॉ, मध्यप्रदेश के सभी जिलों में कियान्वित ।
7	किस प्रकार हितग्राही योजना अंतर्गत सम्मिलित किये गये है । (लघु कृषक/सीमांत कृषक/अन्य कृषक/अनु.जाति/अनू.जनजाति/अन्य पिछडे वर्ग/पुरूष/महिला आदि	सभी वर्ग के कृषक ।
8	हितग्राहियों के लिये पात्रता मानदंड यदि कोई हो तो	सभी वर्ग के कृषक एवं कृषि यंत्र निर्माता, कम्पनी (इन्टरप्रयोर)
9	क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर/समूह स्तर पर अथवा व्यक्तिगत एवं समूह	सहायता व्यक्तिगत एवं समूह दोनो स्तर पर दी जाती है ।

	दोनो स्तर पर दी जाती है।	
10	प्रदान की जा रही अनुदान विषयक विवरण (यदि अनुदान की राशि हितग्राहियों के प्रकार पर आधरित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राही के लिये अलग-अलग जानकारी प्रस्तुत की जावे) दर (प्रतिशत) न्यूनतम/ अधिकतम भारत सरकार का अंशदान राज्य सरकार का अंशदान	भारत सरकार का अंशदान 100 प्रतिशत– Back Aided सबसिडी के रूप में ।
11	क्या अनुदान के अतिरिक्त हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन मनी देने का प्रावधान है ? यदि हाँ तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिये जानकारी प्रस्तुत की जावे	हॉ, प्रोजेक्ट लागत का 25 प्रतिशत ।
12	किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ योजना अंतर्गत अपेक्षित है	–
13	क्या व्यक्तिगत हितग्राही/समूह के लिये कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की गई है, यदि हां, तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करे।	प्रोजेक्ट की अधिकतम सीमा–हाई–टेक कस्टम हायरिंग केन्द्र–रू. 250 लाख ।
14	क्या योजना अंतर्गत कोई बैंक ऋण का प्रावधान है,	हॉ
15	क्या हितग्राहियों के उपयोग के लिये राज्य शासन द्वारा परियोजना रूपरेखायें (प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स) तैयार कर लिये गये है	हॉ
16	अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो	नहीं ।